पूनम डेड (मिस) बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(जी आर मजीठिया जे जे)

ग्रांउड नम्बर 6 यह आरोप लगाया गया है कि गोद लेने के बिंदु पर मुदा नंबर 4 ए आई सी पर निश्कर्श गलत है और इसे उलटने की जरूरत है । अपीलकर्ताओं के वकील ने तर्क के समय इस मुददे पर गंभीरता से हमला नहीं किया था , फिर भी यह स्पष्ट किया गया है कि नीचे की दोनों अदालतो ने गोद लेने की दलील को खारिज करते हुए तथ्य का एक समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किया है । कोई भी गोद लेने का दस्तावेज , जिसे पंजीकृत किया जाना चाहिए , रिकार्ड पर प्रस्तुत नहीं किया गया है इस अदालत ने मामले के इस पहलू पर रिकार्ड पर मौजूद सबूतों का अध्ययन किया है डी डब्ल्यू 7 श्री मति षांति का मौखिक साक्ष्य ,डी डब्ल्यू 1 सत पाल (प्रतिवादी संख्या 3)डी डब्ल्यू 4 सावन राम और डी डब्ल्यू 5 किषन सिंह को एक साथ लेने पर असंगत और अविश्वसनीय होने के कारण न्यायालयों द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है। इन गवाहों के ब्यानों को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि गोद लेने की दलील को वसीयत की अनदेखी की स्थिति में सत पाल (प्रतिवादी संख्या 3)डी डब्ल्यू 4 , सावन राम और डी डब्ल्यू 5 किष्यान सिंह को एक साथ लेने पर असंगत और अविश्वसनीय होने के कारण न्यायालयों द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है। इन गवाहों के ब्यानों को संयुक्त रूप से पढने से पता चलता है कि गोद लेने की दलील को वसीयत कली अनदेखी की स्थिति में सत पाल , डी डब्ल्यू 1 द्वारा विरासत में दी जाने वाली भूमि के विकल्प में एक कच्चे प्रयास के रूप में लिया गया है।

17. उपर की गई चर्चा के मध्य नजर , यह तदनुसार माना जाता है कि वसीयत अमान्य है और एक जाली दस्तावेज है और नीचे दिए गए न्यायालयों के निश्कर्शो पर संयुक्त रूप से चर्चा की गई है और मुदा संख्या 2 और 3 के तहत कवर किया गया है इसकी पुष्टि की जाती है , अपील किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण संबंधित निर्णय और डिग्री को बरकरार रखते हुए खारिज की जाती है कोई लागत नहीं।

जे एस टी

समक्ष जी आर मजीठीया , न्यायमूर्ति

पूनम डेड (मिस) -- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य- प्रतिवादी

1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 3542

11 जनवरी 1991

भारत का संविधान ,1950 - अनुच्छेद 226-नियमितीकरण टेम्पो आधार पर तीन महीने की अवधि के लिए अंशकालिक व्याख्याता के रूप में प्रारंभिक अस्थाई शामिल है याचिका कर्ता को अधिकार नियुक्ति पत्र में सेवा अनुबंध कान्टा से प्रवाहित होता है असाधारण रिट क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय का आहान करके याचिका कर्ता को नियमित नियुक्ति के लिए कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलता है।

माना गया कि याचिका कर्ता की नियुक्त किसी भी नियमित पद पर नहीं की गई थी उन्हें केवल रूप्ये के समेकित वेतन पर अंशकालिक व्याख्याता के रूप में नियुक्ति पत्र में निहित सेवा अनुबंध से अधिकार प्रवाहित होता है । उनकी नियुक्त पूरी तरह से तीन महीने की अवधि के लिए अस्थाई आधार पर थी इसलिए याचिका कर्ता के पास इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग करके अपने अधिकार के प्रवर्तक के लिए नियमित नियुक्त और नियमित कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य समान वेतन मान का दावा करने का कानूनी अधिकार तो दूर , कोई अधिकार नहीं है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि यह माननीय न्यायालय कृपया इस मामले के रिकार्ड को मंगाने की कृपा करें और उसका अवलोकन करने के बाद याचिका कर्ता को निम्नलिखित राहत देने की कृपा करें-

1. परमादेष या किसी अन्य आदेश, रिट या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी करना जिसमें उतर दाताओं को एक नीति तैयार करने के बाद सभी परिणामी राहत के साथ याचिका कर्ता की सेवाओं को उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से नियमित करने का निर्देश दिया जाए । माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस माननीय न्यायालय के निर्णय के साथ उतरदाताआहें को यह निर्देश दिया गया है कि याचिकाकर्ता को उसकी तिथि से 2200-4000 रूप्ये के ग्रेड में नियमित व्याख्याओं के समान वेतन और भत्ता दिया जाए ।प्रारंभिक नियुक्ति

और प्रतिवादी विभाग में नियमित रूप से नियुक्त व्याख्याताओं के बराबर याचिकाकर्ता को अवकाश अवधि के लिए वेतन का भुगतान करने के लिए भी।

2. कोई अन्य उचित रिट आदेश या निर्देश जारी करना जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।

3. उतरदाताओं को अग्रिम नोटिस की सेवाएं प्रदान करना ।

4. अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट देना ।

5. इस रिट याचिका की लागत याचिकाकर्ता पर थोपना । आगे यह प्रार्थना की गई है कि इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान हित में याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति पर रोक लगाई जाए न्याय का |

याचिकाकर्ता की ओर से वकील अनिल राठी।

रामेषवर मलिक अधिवक्ता। प्रतिवादी के लिए

निर्णय

जी आर मजीठीया जे

1. यह निर्णय सी डब्ल्यू पी का निपटान करता है । 1989 की संख्या 3542 और 4256 चूंकि कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न निर्धारण के लिए उठते हैं। उसमें याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय से उतरदाताओं को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन देने का आदेश देने की मांग की है ।

2. प्रासंगिक तथ्यों का संदर्भ सी डब्ल्यू पी की दलीलों से लिया गया है 1989 का क्रमांकन 3542

3. प्रतिवादी संख्या 1 ज्ञापक 1/24-85 शिक्षा संस्था-1 दिनांक 24 अक्तुबर 1986 ने प्रतिनिधिमंडल के अनुसार कालेज व्याख्याताओं की अल्पकालिक रिक्तियों को भरने के लिए हरियाणा राज्य में सरकारी कालेजों के पर्चियों की शक्तियां सौंपी , प्रतिवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्ता को अंशकालिक व्याख्याता के रूप नियुक्त किया । रूप्ये के निषचत वेतन पर तीन महीने की अवधि के लिए भूविज्ञान पूरी तरह से अस्थाई आधार पर ! 1000-22 सितंबर 1988के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता सेवा में जारी है । उन्होंने आशंका जताई कि उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं जिस पद पर याचिकाकर्ता काम कर रहा था उस पद पर नियमित नियुक्त होने तक उसकी सेवाएं समाप्त नहीं करने के लिए परिवादियों के खिलाफ निशेधाज्ञा की रिट के लिए उसने इस न्यायालय का रूख किया और साथ ही परिवादियों को आदेश दिया कि उसे उसी वेतन मान का भुगतान किया जाए जैसा कि उसे दिया गया था ।नियमित कर्मचारियों को।

4. प्रतिवादी संख्या 2की ओर से लिखित ब्यान दायर किया गया है। इसमें अन्य बातों के साथ दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा रूप्ये के समेकित वेतन पर अंशकालिक व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था। तीन महीने की अवधि के लिए 1000 चूंकि किसी नियमित पदाधिकारी की भरती नहीं की गई थी इसलिए उन्हें पद पर बने रहने

की अनुमति नहीं दी गई सेवा के अनुबंध से उनके अधिकार प्रवाह में नियुक्ति पत्र शामिल था। और उन्हें नियमित कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य समान पी सकेल का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था।

5. याचिका किसी भी योग्यता से रहित है। याचिकाकर्ता को किसी भी नियमित पद पर नियुक्त किया गया था उन्हें केवल रूप्ये के समेकित वेतन पर अंशकालिक व्याख्याता के रूप से नियुक्त किया गया था 1000 रूप्ये प्रति माह निर्विवाद रूप से सेवा के अनुबंध का अधिकार नियुक्त पत्र में निहित है उनकी सेवा ये पूरी तरह से अस्थाई आधार पर तीन महीने की अवधि के लिए थी यदि उसे तीन महीने की प्रारम्भिक अवधि की समाप्ति के बाद पुन नियुक्त की पेशकश की गई थी तो इससे उसमें कोई निहित अधिकार बाद पुन नियुक्त की पेशकश की गई थी । तो इससे उसमें कोई निहित अधिकार नहीं बनेगा एक समान रिट याचिका में अर्थात सी डब्ल्यू पी 1989 की संख्या 2951 , 12 जुलाई 1989 को मोतियों बेच द्वारा रोक को अस्वीकार कर दिया गया था उस मामले में याचिकाकर्ता ने अपील सिविल संख्या 895 के लिए विषेश अनुमति याचिका के माध्यम से अदालत में याचिका दायर की थी 1989 का और उसे 19 अक्तुबर 1989 के आदेष के तहत खारिज कर दिया गया जैसा भी हो याचिकाकर्ता के पास इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग करके अपने अधिकार को लागू करने का कोई अधिकार नहीं है , कानूनी अधिकार तो दूर की बात है।

6. उपरोक्त कारणों से , रिट याचिकाएं लागत के सबंध में बिना किसी आदेष के खारिज कर दी जाती हैं।

जे एस टी

समक्ष जवाहर लाल गुप्ता, न्यायमूर्ति

पंजाब राज्य फेडरेषन आॅफ कंज्यूमरको कोआपरेटिव होलसेल स्टोर्स लिमिटेड । चंडीगढ़-

याचिकाकर्ता

बनाम

आयुक्त अपील जालंधर डिवीजन और अन्य प्रतिवादी

1990 की सिविल रिट याचिका संख्या 10772

12 अप्रैल 1991

पंजाब सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1961एस एस 55 और 56मध्यस्थता कार्यवाही चुनौती की पोशणीयता विवाद को सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को संदर्भित करना अतिरिक्त रजिस्ट्रार के समक्ष मामला रखा जाना अतिरिक्त रजिस्ट्रार के समक्ष यह कहना कि याचिका विचारणीय है इस आदेश को किसी भी फोरम के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती -आगे बढे - तीन महीने तक जारी रखने की अनुमति दी गई। इसलिए अंतिम आदेश के पारित होने में परिणति हुई सरकारी अधिसूचना में इस तथ्य का उल्लेख किया गया कि रजिस्ट्रार की सभी शक्तियां अतिरिक्त रजिस्ट्रार को सौंप दी गई हैं चार साल के बाद की गई रखरखाव को चुनौती - याचिकाकर्ता को रखरखाव को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती इस स्तर पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार के समक्ष कार्यवाही ।

यह माना गया कि जब अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने स्पष्ट रूप से प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन को कायम रखने योग्य माना था , तब भी याचिकाकर्ता ने इस आदेश को किसी भी मंच के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती आगे बढे तीन महीने तक जारी रखने की अनुमति दी गई इसलिए अंतिम आदेश के पारित होने में परिणति हुई - सरकारी अधिसूचना में इस तथ्य का उल्लेख किया गया कि रजिस्ट्रार की सभी शक्तियां अतिरिक्त रजिस्ट्रार को सौंप दी गई हैं चार साल के बाद की गई रखरखाव को चुनौती - याचिकाकर्ता को रखरखाव को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती इस स्तर पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार के समक्ष कार्यवाही ।

यह माना गया कि जब अतिरिक्त रजिस्टर ने स्पष्ट रूप से प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन को कायम रखने योग्य माना था, तब भी याचिकाकर्ता ने इस आदेश को किसी भी मंच के समक्ष चुनौती नहीं दी। यदि याचिकाकर्ता इस आदेश से व्यथित था तो वह इसे अधिनियम के तहत अपील या संशोधन के माध्यम से या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में चुनौती दे सकता था। ऐसा नहीं किया गया ,इसके विपरीत, अतिरिक्त रजिस्ट्रार के समक्ष कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी गई । इनकी परिणति लगभग तीन महीने बाद पारित अंतिम आदेश में हुई। अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वारा प्रतिवादी द्वारा दायर याचिका की विचारशीलता को बरकरार रखे हुए चार साल से अधिक समय बीत चुका है । मामले की परिस्थितियों में, मैं हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी हरियाणा